



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

संख्या-५५, सोमवार, १ जुलाई, 2007

आमास 18, 1829 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1807/78-वि-१-अ-०१-(सं०)३३-२००७

संख्या, १ जुलाई, 2007

अधिसूचना

प्रति

"घराना का समीक्षण" के अनुच्छेद 260 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान एवं संशोधन (संशोधन) अधिनियम, 2007 का विवरण 7 जुलाई, 2007 को संपुर्णित प्रकाश की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2007 के रूप में सर्वप्रथम की संपुर्णरूप इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश विधान एवं राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2007)

(और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान एवं राज्य आयोग अधिनियम, 1808 का अन्तर्गत संशोधन करने के लिये

अधिनियम

यहाना पत्राचार के अन्तर्गत वर्ग में लिखित/प्रिण्टेड अधिनियम संख्या 1808 है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान एवं राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 बना जायेगा।

अधिसूचना
और संख्या

(2) यह दिनांक 18 जुन, 2007 में प्रकाश हुआ संख्या 1808।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या-३ का. २००७
की धारा ३ का
अनुच्छेद

३-उत्तर प्रदेश विधान सभा राज्य आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ३ में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(५) आयोग में अधिका, उपधिका और सहायिका वाले अधिकारी में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपधिका और सहायक तथा एक सदस्य होंगे।

धारा ३ का अधिनियम

३-मूल अधिनियम की धारा ३ में:-

(५) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(५) अध्यक्ष, उपधिका या अध्यक्ष अन्य सदस्य अपना पद धारण करने के दिनों में एक वर्ष के कार्यकाल के सिद्धे पद धारण करेंगे,

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपधिका या अन्य सदस्य इस समय में अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपूर्वक धारण करेंगे।

(५) उपधारा (५) निराल हो जायेगी।

(५) उपधारा (५) को परामर्श निम्नलिखित उपधारा कहा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(५) (क) अध्यक्ष को राज्य के राज्यपाल की प्रतिनिधि द्वारा होनी,

(ख) उपधारा को राज्य के उप सचिव की प्रतिनिधि द्वारा होनी"

विधान और
अधिनियम

३-(१) उत्तर प्रदेश विधान सभा राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००७ द्वारा प्रस्तावित विधान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या १३
का. २००७

(५) ऐसे विधान के होते हुए भी उपधारा (५) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम के उपधारा (५) की धारा ३ में मूल अधिनियम द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम के उपधारा उपधारा के अधीन कुछ करने या कार्यवाही करने की जायेगी करने इस अधिनियम के उपधारा को परामर्श राज्य सरकार पर प्रदान थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश विधान सभा राज्य आयोग अधिनियम, १९५६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९५६) का अधिनियम विधान सभा आयोग का गठन करने के सिद्धे किया गया था। आयोग के कार्यकाल में और अधिक प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से यह अधिनियम किया गया कि उत्तर अधिनियम को संशोधित करने यह व्यक्तियों की जाये कि उत्तर आयोग का गठन एक अध्यक्ष, दो उपधिका और सहायक, विधान के अध्यक्ष सहित संशोधित सदस्य विधान सभा के होते, से किया जायेगा, अध्यक्ष, उपधिका या अध्यक्ष सदस्य अपना पद धारण करने के दिनों में एक वर्ष के कार्यकाल के सिद्धे या राज्य सरकार के प्रसाद पूर्वक पद धारण करने और अध्यक्ष एवं उपधिका को अपना राज्य नहीं एवं कार्यवाही की प्रतिनिधि द्वारा होनी।

इस, राज्य विधान सभा सभा में नहीं था और उपधारा अधिनियम को कार्यवाही करने के सिद्धे उत्तर विधान सभा कार्यवाही करता अध्यक्ष या, और उपधारा द्वारा दिनांक १३ मई, २००७ को उत्तर प्रदेश विधान सभा राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, २००७ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३ का. २००७) प्रस्तावित किया गया।

उपधारा यह अधिनियम किया गया कि आयोग के अध्यक्ष, उपधिका और सदस्यों के पदों के सिद्धे अधिनियम के नाम-निर्दिष्ट के समय में जाति के अधिनियम को निराल किया गया।

यह विधान उपधारा अधिनियम को उपधारा उपधारा सहित प्रतिनिधित्व करने के सिद्धे प्रस्तावित किया जाता है।

अज्ञात से,
दीपक सिंह,
उपसचिव।